रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224078
CG-DL-E-01012021-224078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942
No. 01] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम 2021

मि. 1-4/2016 (आईओई).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

   (२) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम 2017 (इसके पश्चात इन्हें उक्तविनियम कहा गया है) के विनियम 2.0 (परिभाषाएं) में -

(क) खंड 2.10 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"2.10 मंत्रालय का अभिप्राय "शिक्षा मंत्रालय"।

(ख) खंड 2.12 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" 2.12 ऑफ कैंपस सेंटर का अभिप्राय समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के भारत के भीतर परिसर से अलग स्थित सरकार द्वारा अनुमोदित परिसर से है"।

(ग) खंड 2.13 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2.13 ऑफ-शोर कैंपस का अभिप्राय समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के भारत के बाहर इसके परिसर से परे स्थित सरकार द्वारा अनुमोदित सेंटर से है"।

(घ) खंड 2.15 में "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) शब्दों के लिए ""राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग"" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे"।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4.0, उप-विनियम 4.2 में,) खंड 4.2.7 के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"4.2.7 शिक्षक - छात्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक, विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदात्मक शिक्षक, उद्योग शिक्षक और सीमित अवधि शिक्षक (Tenure Track faculty) या संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित संकाय।

तथापि, कम से कम 60% शिक्षक को स्थायी/ नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए अंशकालिक शिक्षक की गणना नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 60% स्थायी/ नियमित शिक्षको को किसी भी समय शिक्षक छात्रों के 1:10 अनुपात को भंग नहीं होना चाहिए।"

4. उक्त विनियमों के उप-विनियम 5.2 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त विनियमों के विनियम 6 में, उप-विनियम 6.1 में खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(iii) ग्रीनफील्ड संस्थानों के लिए प्रायोजित संगठन में वे सदस्य होने चाहिए जिनकी सामूहिक रूप से कुल निवल संपत्ति कम से कम पांच हजार करोड़ रुपए हो। मौजूदा संस्थानों के लिए, प्रायोजक संगठन की कुल निवल संपत्ति कम से कम तीन हजार करोड़ रुपये होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सदस्यों अथवा संगठन, जैसा भी मामला हो, की पिछले तीन वित्तीय वर्षों की निवल संपत्ति के औसत को ध्यान में रखा जाएगा "।

6. उक्त विनियमों के विनियम 8.0 में-

(क) उप-विनियम 8.1 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम 8.2 के खंड 8.2.1 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम 8.4 में; -

(i) खंड (क) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ङ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) मंत्रालय खंड (घ) के अधीन सिफारिशों के प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर एक आशय पत्र जारी करेगा, या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार कर देगा। यदि संस्थान किसी भी समय अपने आशय पत्र (LoI) को अभ्यर्पित कर देता है, तो संस्थान के आवेदन को निवर्तित माना जाएगा और आवेदन/प्रसंस्करण शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। "

(iv) खंड (छ) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) खंड (ज) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, जहां भी वे हैं, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) खंड (i) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7. उक्त विनियमों के विनियम 11.0 के उप-नियम 11.2, में -

(क) खंड 11.2.4 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"11.2.4 समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को अपने कार्यक्रमों के भाग के रूप में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। यदि किसी कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन संचालित/ प्रदान किया जाता है, तो इसका उल्लेख संबंधित प्रमाणपत्र/ डिग्री में भी किया जाना चाहिए।"

(ख) खंड 11.6.2 के पश्चात निम्नलिखित खंडों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

" **11.7 ऑफ कैंपस सेंटर (सेंटरों) की स्थापना**- समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थानों को नए ऑफ कैंपस सेंटर (सेंटरों) (5 वर्षों में अधिकतम 3 और एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से अधिक नहीं) को आरंभ करने की अनुमति होगी, इसके नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

11.7.1- समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान अपने आवेदन को निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें 10 वर्ष की नीतिगत विजन योजना और 5 वर्ष की प्रवाही (रोलिंग) कार्यान्वयन योजना अर्थात अकादमिक योजना, शिक्षक भर्ती योजना, छात्र प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, अवसंरचना ढांचा विकास योजना, वित्तीय योजना, प्रशासनिक योजना, स्पष्ट वार्षिक उपलब्धि और कार्य योजना सहित निहित होगी कि ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ करने/ स्थापित करने के अनुमोदन के लिए पहचान योग्य परिणामों के साथ प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर किस प्रकार से स्थापित किया जाना है। मंत्रालय आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आयोग के परामर्श के लिए आयोग को आवेदन अग्रेषित करेगा।

11.7.2- ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटरों) के लिए आवेदन करने वाले समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर में निम्नलिखित अनुबंध को उचित समयावधि के भीतर पूरा करना होगा, जो पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए: -

i. शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से अधिक नहीं होगा अथवा संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाँच वर्षो के अंत में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10 होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक , विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, उद्योग शिक्षक और पूर्णकालिक सीमित अवधि शिक्षक (Tenure Track Faculty), अथवा संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा अन्यथा अनुमति